

आअदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

राजगढ़ जिला चूरु

ओकारमल

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट

नम्बर मुकदमा 508 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
24.11.2018	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी ओकारमल पुत्र मालाराम जाति दौली निवासी भुवाडी तहसील राजगढ़ जिला चूरु नें इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. 181, ख0न0 761/384 तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम रामकुमार भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम ओकारमल दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 181, ख0न0 761/384 तहसील राजगढ़ जिला चूरु के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम रामकुमार पुत्र मालाराम के स्थान पर सही नाम ओकारमल पुत्र मालाराम शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे।</p>	
	<p>मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरु)</p>